**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 614–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–1–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 317/2013–14/अपील.

.....

1–रामलाल पिता स्व0बंशीलाल सावनेर माली
निवासी 80 महात्मा गांधी मार्ग खरगोन
हाल मुकाम 164 एच.बी.नार्थ पी.टी.नगर
क्वार्टर नम्बर आई 626/41 के सामने, भोपाल
2–शंकरलाल पिता बंशीलाल सावनेर माली
निवासी 80 महात्मा गांधी मार्ग खरगोन
3–छगनलाल पिता स्व0 बंशीलाल सावनेर माली
निवासी 80 महात्मा गांधी मार्ग खरगोन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–दलशेर खां पिता शेरखॉ मुसलमान
2–अय्यूब खां पिता दलशेर खां मुसलमान
दोनों निवासी तिलकपथ मोहन टॉकीज के सामने
तहसील एवं जिला खरगोन

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री ईसराईल शेख, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 5/10/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्बा खरगोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 438 रकबा 0.02 एकड़ दलशेर खॉ अय्यूब खां तथा लाडकीबाई के शामिलाती स्वत्व की भूमि है उक्त भूमि में लाडकीबाई के स्वत्व की भूमि 18 फीट लम्बी तथा 12.1 फीट चौडी है। लाडकीबाई का दिनांक 18–9–11 को स्वर्गवास हो गया है अतः प्रश्नाधीन भूमि पर लाडकीवाई के वारिसानें के नाते आवेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 19–1–12 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–9–13 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–1–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेंदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) दिनांक 31–1–78 को जो विक्रय पत्र संपादित किया गया है वह बिना अभिलेख के मनमाने ढॅग से संपादित किया गया है और उसमें अन्तरण की जॉच व भूमि की लम्बाई का गलत उल्लेख किया गया है इसी कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा भी अंतरित भूमि की लम्बाई गलत अंकित कर वाद निरस्त कर दिया गया है ।

(2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पैतृक संपत्ति को परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा विक्रय करने का अधिकार नहीं है ।

(3) लाडकी बाई का 2 डिसमिल भूमि में से एक चौथाई भूमि पर स्वत्व था जिसकी पुष्टि अभिलेख से होती है ।

(4) व्यवहार न्यायालय के आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि लाडकीबाई की भूमि अय्यूब खां के पक्ष में अन्तरित कर दी जाये इसलिये अय्यूब खा के पक्ष में नामान्तरण किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(5) तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्पष्ट है कि अनावेदकगण के कब्जे में 5 डिसमिल भूमि है और उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण कर दुकानों का निर्माण किया गया है जिसके लिये अनुमति ली गई है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का गलत अर्थ लगाकर आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई। यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित करते हुये वाद निरस्त किया गया है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर लाड़कीबाई का कोई स्वत्व नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में

वारिसानों का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा खण्डन में ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनकी माता लाडकीबाई का कोई स्वत्व है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर